न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री हनुमानाराम, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 299 / 2024 अन्तर्गत धारा 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
नारायणदान पुत्र कल्याणदान जाति चारण, निवासी ओलेचा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1 राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2 जसूदान पुत्र कल्याणदान जाति चारण, निवासी ओलेचा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3 किरणकंवर पत्नी मनोहरसिंह जाति राजपुत, निवासी ओला तहसील सांकड़ा, जिला जैसलमेर 4 मोतीदान पुत्र अम्बादान जाति चारण, निवासी ओलेचा तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री नवलसिंह राठौड़।
अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 व 3 :– श्री ईश्वरसिंह भाटी।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 11.12.2024

प्रार्थी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा ओलेचा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 70 / 8 रकबा 10.8213 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थी द्वारा पूर्व खातेदार राधादेवी पत्नी भंवरदान के हिस्सा में से रकबा 30.19 बीघा भूमि क्रय की गई है तथा इसी खसरा नम्बर की भूमि में से 09.03 बीघा भूमि बाद में राधादेवी से क्रय की गई है। उक्त बैचान दस्तावेज के आधार पर नामांतरकरण संख्या 100 भरा गया, जिसमें रकबा का सही अंकन किया गया। बाद में राजस्व रेकर्ड को ऑनलाईन करते समय लिपिकीय भूल से विप्रार्थी संख्या 2 की खरीदशुदा भूमि का रकबा 09.03 बीघा के स्थान पर रकबा 623 / 2077 हैक्टेयर दर्ज कर दी गई तथा प्रार्थी के रकबा को कम दर्ज कर दिया गया। उक्त प्रविष्टियां बिना किसी समक्ष आदेश के की गई है। राजस्व रेकर्ड में दर्ज उक्त त्रूटिपूर्ण अंकन का सहारा लेकर विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने हिस्से से कुछ हिस्सा आगे बैचान कर दी गई है, जिससे मौके पर कब्जा को लेकर पक्षकारान् के मध्य विवाद पैदा हो गया है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड में त्रूटिपूर्ण रकबा व हिस्सा के अंकन को निरस्त करवाते हुए सही खातेदारी हिस्सा का अंकन कर रेकर्ड दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर विद्यमान कब्जा काश्त अनुसार एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अंकित रकबा में भिन्नता है। उक्त विवादित आराजी के मूल खसरा नम्बर 8 रकबा 147.01 बीघा में से पूर्व खातेदार राधादेवी पत्नी भंवरदान द्वारा अपने हिस्से में से 30.19 बीघा भूमि का बैचान प्रार्थी को किया गया, जिसका राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया गया। उक्त मूल खसरा नम्बर 8 का विभाजन होने पर नवीन खसरा नम्बर 70 / 8 रकबा 66.17 बीघा [illegible] नम्बर 8 रकबा 80.04 बीघा का अमलदरामद किया गया। बाद में खसरा नम्बर 70 / 8 रकबा 66.17 बीघा में से राधादेवी पत्नी भंवरदान द्वारा अपने हि[illegible] बैचान जसूदान पुत्र कल्याणदान को करने से उक्त [illegible] गया। तत्पश्चात् जमा[illegible] ऑनलाईन करते समय आसूदान पुत्र अम्बादान हिस्सा 831 / [illegible]4, जसूदान पुत्र कल्याण[illegible] हिस्सा 623 / 2077 नारायणदान पुत्र कल्याणदान हिस्सा 623 / 2077 मोतीदान पुत्र अम्बादान

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2025.01.30 16:54:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हिस्सा 831/4154 दर्ज हुआ, जिसमे आसुदान व मोतीदान का हिस्सा सही दर्ज किया गया किन्तु जसूदान व नारायणदान का हिस्सा बराबर दर्ज हो गया जो त्रूटिवंश गलत दर्ज हुआ है। उक्त गलत हिस्सा के आधार पर जसूदान द्वारा 10.00 बीघा भूमि का बैचान आसुदान को किया गया, जिसका अमलदरामद किया जा चुका है तथा बाद मे आसुदान द्वारा 23.07 बीघा भूमि का बैचान किरणकंवर पत्नी मनोहरसिंह को किया जा चुका है। उपरोक्तानुसार आसुदान के हिस्से मे 22.10 बीघा भूमि आती है, लेकिन त्रूटिपूर्ण अंकन से अपने हिस्से से अधिक भूमि का बैचान किया जाकर अमलदरामद किया गया। वर्तमान जमाबंदी में किरणकंवर पत्नी मनोहरसिंह 2191087/5553898, जसुदान पुत्र कल्याणदान 292931/2776949, नारायणदान पुत्र कल्याणदान 623/2077, मोतीदान पुत्र अम्बादान 831/4154 हिस्सा दर्ज है, जबकि जसुदान पुत्र कल्याणदान द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा बैचान किया जा चुका है। उपरोक्त संलग्न दस्तावेज व रेकर्ड का अवलोकन करने पर विवेचित खसरा नम्बर 70/8 रकबा 10.8213 हैक्टेयर में किरणकंवर पत्नी मनोहरसिंह 450/1337 हिस्सा, मोतीदान पुत्र अम्बादान 268/1337 हिस्सा, नारायणदान पुत्र कल्याणदान 619/1337 हिस्सा दुरस्ती प्रस्तावित की गई है। विप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 द्वारा जरिये वकील इकबाली जवाब पेश कर रेकर्ड में दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है।

उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड मे विद्यमान रकबा व हिस्सा को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 70/8 रकबा 10.8213 हैक्टेयर में किरणकंवर पत्नी मनोहरसिंह 450/1337 हिस्सा, मोतीदान पुत्र अम्बादान 268/1337 हिस्सा, नारायणदान पुत्र कल्याणदान 619/1337 हिस्सा दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड में त्रूटिपूर्ण रकबा व हिस्सा के अंकन को निरस्त करवाते हुए सही खातेदारी हिस्सा का अंकन कर रेकर्ड दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर विद्यमान कब्जा काश्त अनुसार एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अंकित रकबा में भिन्नता है। जमाबंदी ऑनलाईन करते समय आसूदान पुत्र अम्बादान हिस्सा 831/4154, जसूदान पुत्र कल्याणदान हिस्सा 623/2077 नारायणदान पुत्र कल्याणदान हिस्सा 623/2077 मोतीदान पुत्र अम्बादान हिस्सा 831/4154 दर्ज हुआ, जिसमें आसुदान व मोतीदान का हिस्सा सही दर्ज किया गया किन्तु जसूदान व नारायणदान का हिस्सा बराबर दर्ज हो गया जो त्रूटिवंश गलत दर्ज हुआ है। उक्त गलत हिस्सा के आधार पर जसूदान द्वारा 10.00 बीघा भूमि का बैचान आसुदान को किया गया, जिसका अमलदरामद किया जा चुका है तथा बाद में आसुदान द्वारा 23.07 बीघा भूमि का बैचान किरणकंवर पत्नी मनोहरसिंह को किया जा चुका है। उपरोक्तानुसार आसुदान के हिस्से में 22.10 बीघा भूमि आती है, लेकिन त्रूटिपूर्ण अंकन से अपने हिस्से से अधिक भूमि का बैचान किया जाकर अमलदरामद किया गया। वर्तमान जमाबंदी में किरणकंवर पत्नी मनोहरसिंह 2191087/5553898, जसुदान पुत्र कल्याणदान 292931/2776949, नारायणदान पुत्र कल्याणदान 623/2077, मोतीदान पुत्र अम्बादान 831/4154 हिस्सा दर्ज है, जबकि जसुदान पुत्र कल्याणदान द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा बैचान किया जा चुका है। उपरोक्त संलग्न दस्तावेज व रेकर्ड का अवलोकन करने पर विवेचित खसरा नम्बर 70/8 रकबा 10.8213 [illegible] मनोहरसिंह 450/1337 हिस्सा, मोतीदान पुत्र अम्बादान 268/1337 हिस्सा, नारा[illegible] कल्याणदान 619/1337 हिस्सा दुरस्ती प्रस्तावित की गई है। [illegible] दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। उभयपक्ष व[illegible] अनुसार रेकर्ड दुरस्ती स्वीकार किये जाने पर उपरोक्तानुसार [illegible] जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कि[illegible]जाकर विवादित आराजी का रेकर्ड व हिस्सा तदनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नही होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2025.01.30 16:54:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ओलेचा, तहसील शिव में प्रार्थी व विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 70/8 रकबा 10.8213 हैक्टेयर भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सा को निरस्त किया जाकर खातेदार किरणकंवर पत्नी मनोहरसिंह 450/1337 हिस्सा, मोतीदान पुत्र अम्बादान 268/1337 हिस्सा, नारायणदान पुत्र कल्याणदान 619/1337 हिस्सा दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 11.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2025.01.30 16:54:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner